कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ। 10

पत्रांक–आर0टी0ई0 / निःशुल्क प्रवेश (प्रथम चरण) / 9428 / 2025–26 दिनांक–28 / 02 / 2026

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,

ALPINE PUBLIC SCHOOL

Gram/Ward- इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड, Nagar Zone 3

विषय– शैक्षिक सत्र 2026–27 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का कक्षा–1 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–10 / अड़सठ–3–2026 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक–08 जनवरी, 2026 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–आर0टी0ई0 / न0प्र0–02 / 8056 / 2025–26 दिनांक–17.01.2026 के आलोक में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत कक्षा–1 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में कुल क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रथम चरण में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से अलाभित समूह एव दुर्बल वर्ग के बच्चों को आपका विद्यालय आवंटित हुआ है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ द्वारा निःशुल्क प्रवेश कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	यू–डायस कोड	रजिस्ट्रेशन नम्बर	छात्र / छात्रा का नाम	पिता का नाम	मोबाइल नम्बर	कैटेगरी	आवंटित कक्षा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9270915489	248398	SIDDHART NARAYAN	NAND JEE SINGH	7394970094	दुर्बल वर्ग	CLASS 1
2	9270915489	182599	RAJDEEP	VIKRAM KUMAR	8052942452	दुर्बल वर्ग	CLASS 1
3	9270915489	137544	PIYUSH YADAV	AMAR NATH	9721349213	अलाभित समूह	CLASS 1
4	9270915489	128901	ANMOL MAURYA	RAKESH MAURYA	8948467792	दुर्बल वर्ग	CLASS 1
5	9270915489	109871	SURYANSH RAWAT	SHEKHAR RAWAT	8127925079	अलाभित समूह	CLASS 1
6	9270915489	66958	SHAURYA RAJBHAR	SATISH KUMAR	6392961740	दुर्बल वर्ग	CLASS 1
7	9270915489	64864	VISHNU RAWAT	DEEP CHANDRA RAWAT	9506379400	अलाभित समूह	CLASS 1
8	9270915489	50284	SHIVANSH SAH	JITENDRA KUMAR GOND	7982027230	दुर्बल वर्ग	CLASS 1
9	9270915489	37823	SURABHI	HIMANSHU PRAJAPATI	6306441510	दुर्बल वर्ग	CLASS 1
10	9270915489	37260	SURYANSH	DEEPAK	8173069891	अलाभित समूह	CLASS 1

उपरोक्तानुसार आवंटित बच्चों का निःशुल्क प्रवेश विद्यालय में इस माह में किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त प्रवेशित बच्चे नये सत्र 2026–27 में दिनांक 01 अप्रैल 2026 से विद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे।

फीस प्रतिपूर्तिः–

- शासनादेश दिनांक–08 जनवरी, 2026 द्वारा विद्यालय को आर0टी0ई0 12(1)(ग) के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति की धनराशि अथवा विद्यालय का वास्तविक शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम दर रू0 450 /– 12 माह के लिये निर्धारित है। विद्यालय द्वारा अभिभावक से किसी भी प्रकार की अन्य फीस लिये जाने की स्थिति में विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- ऐसे विद्यालय, जो निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कोई भूमि / भवन / उपस्कर अथवा अन्य सुविधायें प्राप्त करने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पहले ही वचनबद्ध हों, ऐसे विद्यालय ऐसी वचनबद्धता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगें।
- शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान विद्यालयों द्वारा **राष्ट्रीयकृत बैंकों में आर0टी0ई0 हेतु खोले गये** पृथक खाते में किया जायेगा।

वित्तीय सहायता–

आर0टी0ई0 योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों को पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं एवं यूनीफार्म क्रय आदि हेतु प्रति बच्चा रू0 5000 /– प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता अभिभावक को अनुमन्य है, जिस हेतु सम्बन्धित छात्र / छात्रा के अभिभावक से निःशुल्क प्रवेश सम्बन्धी मूल अभिलेख एवं अभिभावक के बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति का मिलान कर उसकी एक प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।

विद्यालय द्वारा बच्चों को निःशुल्क प्रवेश न लिये जाने की दशा में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 13 में वर्णित प्राविधानों एवं नियमों सम्बन्धित शासनादेश/विभागीय निर्देशों के अनुक्रम में विधिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। निःशुल्क <u>प्रवेश करने के उपरान्त बच्चों का विवरण आर0टी0ई0 पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।</u>

(विपिन कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

पृ0सं0 व दिनांक–उक्तवत्।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0,लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, लखनऊ।
3– मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ।
4– शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
6– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवंटित विद्यालय में सम्बन्धित का तत्काल प्रवेश कराते हुए विद्यालयवार सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
7– सम्बन्धित अभिभावक।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ।